(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 23/2020 जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00053

घड़सीराम पुत्र श्री मथूरा उम्र 86 वर्ष जाति जाट निवारी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

.........वादी

बनाम

1. दयानन्द पुत्र गोमाराम उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. मानसिंह पुत्र गोमाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोमाराम उम्र 49 वर्ष जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. सज्जनसिंह पुत्र गोमाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. पंजाब नेशनल बैक जरिये मैनेजर शाखा सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णय:–

दिनांक:–8/5/25

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता सं0 26 के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.64 है0 खसरा नम्बर 270 रकबा 0.61 है0 खसरा नम्बर 271 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 है0 मे वादी 1/2 भाग का खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। तथा शेष 1/2 भाग के खातेदार सयुक्त रूप से प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/2 यानि प्रत्येक का 1/10 भाग के खातेदार दर्ज रिकार्ड है खातेदार माली देवी का लगभग 8 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया है मृतक माली देवी के वारीसान प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 है जिनको बिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतका माली देवी का हिस्सा 1/10 प्रत्येक प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 का 1/40 – 1/40 भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उनके हिस्से में आयेगा इस प्रकार प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 का प्रत्येक का भाग आता है जो उनकी खातेदारी में रहेगा।

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न0 1 में वर्णित भूमि का यधपि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 ने बाहमी बटंवारा कर रखा हैं लेकिन उक्त भूमि का विधिवत् खाता विभाजन नही हुआ हैं इसलिए वादी का उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने 1/2 भाग का खाता विभाजन करवाया चाहता हैं जिसका उसे कानूनी अधिकार है।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि का यधपि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 ने बाहमी बटवारा कर वे अपने –अपने हिस्से पर काबिज हैं लेकिन उक्त भूमि का विधिवत खाता विभाजन नही होने के कारण वादी व प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 के मध्य उक्त भूमि में अपने–अपने हिस्से की भूमि को कास्त करते समय सींव आदि का विवाद होता रहता है। तथा वादी को उक्त भूमि में खाता शामलाती रहने से वादी सरकार से मिलने वाली राजकीय सहायता, अनुदान, ऋण आदि लेने व अपनी भूमि का सही रूप से विकास कर पाने में अवरोध पैदा होता हैं इसलिए वादी को अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना आवश्यक हुआ हैं। जिसके लिए वादी उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि का खाता विभाजन हेतु यह दावा न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश करता हैं।

4. यह कि वादी ने उपरोक्त वर्णित भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 को एक माह पूर्व कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया और वादी के साथ लडाई झगडा करना शुरू कर दिया इसलिए वादी के लिए उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

5. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र के खण्ड न0 1 में किया गया हैं में 1/2 भाग का खातेदार होने व प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 4 द्वारा बार–बार खाता विभाजन की कहने व उनके द्वारा एक माह पूर्व खाता विभाजन करवाने से इन्कार करने से पैदा हुआ हैं जो सावधि हैं।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि का खाता सयुक्त रहने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकन नही किया जा सकता हैं।

7. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता सयुक्त रहने से पैदा हुआ हैं वैसे भी इस प्रकार के दावों के लिए कानून में कोई मियाद निर्धारित नही है। इसलिए यह वाद पत्र अन्दर मियाद हैं।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम पालोता तहसील बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हद्द में है इसलिए इस दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:49 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 उपरोक्त खातेदार है प्रतिवादी सख्या 1 व 4 ने प्रतिवादी सख्या 5 ने ऋण ले रखा हैं प्रतिवादी सख्या 6 लैण्ड होल्डर है जो आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं।

10. यह कि दावा खाता विभाजन के लिए कानून निर्धारित 1 रू कोर्ट फीस नियत हैं।

11. यह कि वाद पत्र सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ शपथ पत्र भी संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). यह वाके ग्राम पालोता तहसील बुहाना जिला झुझुनूं स्थित जमाबन्दी सवत् 2075 से 2078 के हाल खाता सं0 26 के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.64 है0 खसरा नम्बर 270 रकबा 0.61 है0 खसरा नम्बर 271 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 है0 मे वादी का 1/2 हिस्से का खाता विभाजन कर विभाजन में वादी के रास्ता का प्रावधान करते हुये विभाजन नियमों के अनुसार खाता विभाजन किये जाने की कृपा करें।

(ख). कि दावा वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी को प्रतिवादीगण से दिवाये जाने कि कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाबदावा मय काउन्टर कलेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी स0 1 लगायत 4 का विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 4 तथा प्रतिवादी सख्या 2/1 लगायत 2/4 तथा प्रतिवादीगण 3/1 लगायत 3/2 की और से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी डिक्री किये जाने की कृपा करे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 513 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2981 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर [illegible] दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम [illegible] भूमि हाल खाता संख्या 26 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जा काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी रा0 1 से 4 का बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता सं0 26 के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.64 है0 खसरा नम्बर 270 रकबा 0.61 है0 खसरा नम्बर 271 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 है0 मे भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 8/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:49 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–
राजस्व वाद सं.– 23 / 2020

सुमन देवी II, आर.ए.एस.
जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 00053

घड़सीराम बनाम दयानन्द आदि
दावा बाबत– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की ओर से **श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट** की उपस्थिती व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी स0 1 से 4 का बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता सं0 26 के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.64 है0 खसरा नम्बर 270 रकबा 0.61 है0 खसरा नम्बर 271 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 है0 मे भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड मे अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8/5/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:11:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)